कार्यालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

क्रमाक – एफ 1( ) ( )स्था / 2017 / 5515 दिनाक – 18 / 12 / 2019

समस्त जिला स्तरीय अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष

विषय मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनाक 31 12 016 से पूर्व नियुक्त कार्मिको द्वारा टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के सबध मे।

प्रसग श्रीमान प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क 2) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमाक प 3(1)कार्मिक / क–2 / 2013 दिनाक 06 12 2019।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के उक्त प्रासागिक परिपत्र द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनक 31 12 2016 से पूर्व नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टकण परीक्षा उतीर्ण नही की गई है को निर्धारित समयावधि के पश्चात टकण परीक्षा उतीर्ण किये जाने हेतु कार्मिक विभाग स्तर पर दो अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए विशेष टकण परीक्षा आयोजित किये जाने के निर्देश दिए गए है।

अत उक्त परिपत्र की पालना मे जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली विशेष टकण परीक्षा हेतु इसका निम्नानुसार प्रथम परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

क्र स	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह जिसमे परीक्षा आयोजित होगी
1	15 दिसम्बर से 15 फरवरी तक	मार्च / अप्रेल 2020

उक्त परीक्षा हेतु कम्प्यूटर पर निर्धारित टकण गति मे शिथिलता प्रदान करते हुए अग्रेजी भाषा मे 20 शब्द प्रति मिनिट एव हिन्दी मे 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ सलग्न है एव विभागीय बवसाइट http //hanumangarh rajasthan gov in/ पर भी उपलब्ध रहेगा। अत आपके अधीनस्थ अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति तिथि 31 12 2016 से पूर्व हुई है एव अभी तक इनके द्वारा कम्प्यूटर टकण परीक्षा उतीर्ण नही की गई है उसके आवेदन पत्र एव 500 / – रू का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला कलक्टर हनुमानगढ के नाम जारी उपर्युक्त तिथि तक भरकर इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

सलग्न उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष टकण परीक्षा समिति
एव अति जिला कलक्टर हनुमानगढ

क्रमाक सम / 5516 – 5517 दिनाक 18 / 12 / 2019

प्रतिलिपि

1 उप निदेशक सूचना एव प्रौद्योगिकी हनुमानगढ को मय आवेदन पत्र एव दिशा निर्देश बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
2 सूचना एव जन सम्पर्क अधिकारी हनुमानगढ को हनुमानगढ अक के सभी समाचार पत्रो मे नि शुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

अति जिला कलक्टर
हनुमानगढ

विशेष टकण परीक्षा सबधी आवश्यक निर्देश

1 आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे ही किया जावे

2 प्रमाण पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक का आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदन पत्र का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो, निर्देशो एव आदेशो के अनुरूप कर लिया गया है तथा कार्मिक टकण गति परीक्षा हेतु आवश्यक पात्रता रखता है।

3 आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क रू 500/– का नवीनतम डी डी सलग्न करना होगा। डी डी जिला कलक्टर हनुमानगढ के नाम से बनाया जाना है।

4 आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति स्पष्ट एव सुपाठय अक्षरो मे होनी चाहिए। अपूर्ण तथा अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिय जायेगे।

5 आवेदक के पदस्थापन स्थान का नाम एव पता पूर्ण एव सुपाठय अक्षरो मे होना चाहिए।

6 पिन कोड नम्बर एव आवेदक के मोबाईल न आवश्यक रूप से लिखना है।

7 फोटो कार्यालध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

8 आवेदन पत्र पर कर्मचारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।

9 आवेदन पत्र पर कर्मचारी का पहचान चिन्ह अकित होना चाहिए।

10 आवेदन पत्र पर टकण का माध्यम हिन्दी/अग्रेजी स्पष्ट रूप से अकित होना चाहिए।

11 आवेदन पत्र के साथ सलग्न प्रवेश पत्र मे प्रेषिति मे आवेदक के कार्यालय का नाम एव पूर्ण पता लिखा जाना अनिवार्य है तथा इसकी अन्य प्रविष्टिया (नाम, पिता/पति का नाम, माध्यम) की पूर्ति भी आवेदक के द्वारा की जानी है।

12 विभाग द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत दिनाक 31 12 2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिको को ही टकण गति परीक्षा आयोजित की जायेगी अन्य किसी प्रकार से नियुक्ति प्राप्त कार्मिक इस परीक्षा मे सम्मिलित न हो इसकी सुनिश्चितता की जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष एव समस्त कर्मचारी की होगी।

13 परीक्षा दिनाक एव परीक्षा का निर्धारण टकण परीक्षा आयोजित समिति, हनुमानगढ द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष टकण परीक्षा समिति
एव अति जिला कलक्टर हनुमानगढ